

उत्तरांचल शासन  
निर्वाचन विभाग,  
संख्या /25-XXV/2(1)/2005  
दिनांक: देहरादून: 14 अक्टूबर, 2005

2. कार्यालय ज्ञाप

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्या-22) की धारा-5 एवं धारा-18 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल निर्वाचन विभाग के नियन्त्रणाधीन जिला निर्वाचन कार्यालयों में निम्न विवरणानुसार लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी को चिन्हित कर नामित किया जाता है:-

क्र० सं०	विभाग	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1.	निर्वाचन विभाग	समस्त जनपदों के उप जिला निर्वाचन अधिकारी	समस्त जनपदों के सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी	समस्त जनपदों के जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी

उक्त अधिकारियों को इन कार्यों हेतु पृथक से कोई वेतन/भत्ते दिये नहीं होंगे।

(एन० रवि शंकर)  
सचिव

पृ० संख्या 600 R (1)/25-XXV/2(1)/2005, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
- 2 सचिव, सूचना, उत्तरांचल शासन।
- 3 स्टाफ आफिसर-मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
- 4 संबंधित अधिकारीगण।
- 5 मण्डलायुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल।
- 6 समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष।
- 8 मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तरांचल।
- 9 कार्यालय प्रति।

आज्ञा से,

N. Ravi Shankar  
(एन० रवि शंकर)  
सचिव